

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::


-: कार्यालय आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्रधानाचार्य-उमावि व समकक्ष पद के शिक्षा अधिकारियों को, सेवा-नियम 1951 के उप नियम-56 एवं वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक : एफ.1(6) एफडी/नियम/98 दिनांक 28-12-1998, प.1 (6) वित्त/नियम/98 दिनांक 24-05-2004 एवं प.12 (6) वित्त/नियम/20087 जयपुर दिनांक 24-03-2015 के द्वारा संशोधित नियमों के तहत उनके द्वारा (60 वर्ष की) अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, उनके नाम के सम्मुख अंकित सेवानिवृत्ति-तिथि से, सरकारी-सेवा से अपरान्ह सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्रं.सं	नाम कार्मिक	पदनाम	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
01	श्री शिवकुमार सियाग	जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा अधिकारी (प्रधानाचार्य-उमावि समकक्ष)	कार्यालय जिला साक्षरता एवं सतत शिक्षा, श्रीगंगानगर	07-07-57	31-07-2017

उपरोक्त उल्लेखित कार्मिकों के सम्बन्ध में यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक -

- 01 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 02 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
- 03 कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।


(नथमल डिडेल)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :: शिविरा-मा/संस्था/बी-2/सेवानिवृत्ति/45002/2017-18 दिनांक : 29/05/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 सम्बन्धित शिक्षा उप निदेशक (माध्यमिक/ प्रारंभिक शिक्षा)
- 02 सम्बन्धित निदेशक, साक्षरता एवं सतत शिक्षा, राजस्थान जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को सेवानिवृत्ति से न्यूनतम छः माह पूर्व मूल विभाग हेतु कार्यमुक्त करने की कार्यवाही आवश्यक रूप से करावे ताकि समय पर पेन्शन प्रकरण तैयार करवाया जा सके।
- 03 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा/ नियन्त्रण अधिकारी को पाबन्द किया जाता है कि उक्त प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष अधिकारियों से प्रारूप-6 के आशय का शपथ-पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर ही, आगामी कार्यवाही अमल में लावे।
- 04 सम्बन्धित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 05/ सिस्टम एनॉलिस्ट (सयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालया हाजा।
- 06 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ कार्यालयाध्यक्ष
- 07 सम्बन्धित कार्मिक/ निजी पत्रावली।



सयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान,
बीकानेर

कार्यालय का पता - निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर
E-mail I.D. absecsecedu@gmail.com

Telephone NO. 0151-25 23 666
Fax NO. 0151- 22 01 861